

2026/38

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	472	908		कैला पूरा भूरा भारि - गारामिठा सा. टूट खानेवा रहन - मारवाड गामिठा बैंक मारवा	कैला पूरा भूरा भारि - गारामिठा सा. टूट खानेवा रहन - गामिठा गामिठा बैंक शाखा - मारवा	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संपत्त 2015-16 (माह 10/16 से 11/16) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० नू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रत्यारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का शिवपुर मू०अ०नि० सुराधारा की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का शिवपुर मू०अ०नि० सुराधारा की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्राप्त जमाबंदी में अमल किया जाये।

Shiv  
पटवारी (भू. अ.)  
31/12/2015  
पंचवार मण्डल  
दिनांक 19/12/2015  
तहसील - आबू

Pumel  
ह० मू०अ०नि०  
दिनांक 19/12/2015  
तहसील - सुराधारा

ह० राजस्व अधिकारी  
तहसीलदार आबू  
जिला-सिरोही  
ह० उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड